

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना

अ धि सू च ना

संख्या

डी०एल०ए० शिवहर

/रा० पटना दिनांक-

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि ग्राम विशम्भरपुर, थाना नं०-131 राजस्व थाना-तरियानी, परगना तरियानी अंचल-तरियानी, थाना-तरियानी, जिला-शिवहर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-विशम्भरपुर, के अंतर्गत 0.021 डी० एक० भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश बी०/क०/धूर है, जो 0.021 डी० के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

खेसरा नं० 1120,

थाना नं०-131 विशम्भरपुर का चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर खेसरा- 1130

दक्षिण- 120 अंश

पूरब- रास्ता

पश्चिम- 1190

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 (बिहार अधिनियम-2 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूँकि बिहार राज्यपाल का राय है कि कुल 0.021 डी० भूमि योग्य है तथा तुरंत अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) अंश के उपबंध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
शिवहर।

अपर समाहर्ता
शिवहर।

समाहर्ता
शिवहर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक:-

/डी०एल०ए०स०,

शिवहर/रा०, - 14.21/रा० दिनांक:- 29-05-13

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को उपलब्ध उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, शिवहर की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, शिवहर/अपर समाहर्ता, शिवहर/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अध्युक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
शिवहर।

अपर समाहर्ता
शिवहर।

समाहर्ता
शिवहर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अवर सचिव,